



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25102025-267123
CG-DL-W-25102025-267123

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 25—अक्टूबर 31, 2025 (कार्तिक 3, 1947)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2025 (KARTIKA 3, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	523	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1043	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	4483	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	3243
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	5743
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	523	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1043	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4483	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3243
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5743
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2025

संकल्प

सं. ई-11011/1/2022-ओएल—भारत सरकार ने अपने दिनांक 07-02-2022 के संकल्प संख्या 11013/ 1/2013-हिन्दी के अधिक्रमण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे:—

(क) समिति का गठन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

- अध्यक्ष

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री

- उपाध्यक्ष

(1) गैर सरकारी सदस्य

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

1. श्री प्रदान बरूआ, लोक सभा

- सदस्य

2. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, लोक सभा

- सदस्य

3. श्री दीपक प्रकाश, राज्य सभा

- सदस्य

4. श्री संजय सेठ, राज्य सभा

- सदस्य

(ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

5. श्री भर्तृहरि महताब, लोक सभा

- सदस्य

6. श्री राजेश वर्मा, लोक सभा

- सदस्य

(ग) विश्व हिंदी परिषद का प्रतिनिधि

7. डॉ. विपिन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव

- सदस्य

(घ) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का प्रतिनिधि

8. श्री अमिताभ खरे, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली

- सदस्य

(ङ.) मंत्रालय द्वारा नामित राजभाषा के विद्वान आदि

9. डॉ. यतीन्द्र कुमार कटारिया विद्यालंकार

- सदस्य

गुरुद्वारा मार्ग, मौ-महादेव, मंडी, धनौरा -244231,

जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश

10. उमाशंकर मिश्र

- सदस्य

695, न्यू कोट गांव, जी.टी. रोड,

गाजियाबाद- 201009

11. श्री यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी - सदस्य
3/16, कबीर नगर, दुर्गाकुंड,
वाराणसी-221005
- (च) राजभाषा विभाग द्वारा नामित
12. श्री ओ. निधीश, थाझाथु हाउस, वत्तीयारा, - सदस्य
पायान, पोस्ट- पूर्वी कन्नूर-673704
केरल
13. डॉ. पान सिंह, गांव और डाकघर- तुलाह, - सदस्य
तहसील- जोगिन्दर नगर (लड-भडोल),
जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश- 176120
14. श्रीमती डॉ. नीलम महेंद्र, जरी पटका नं.-2, - सदस्य
फलका बाजार, लश्कर,
ग्वालियर-474001
- (2) सरकारी सदस्य
15. सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय - सदस्य
16. सचिव, राजभाषा विभाग एवं हिन्दी सलाहकार, भारत सरकार - सदस्य
17. अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय - सदस्य
18. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय - सदस्य
19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - सदस्य
20. संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभाग), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय - सदस्य सचिव
21. अध्यक्ष, ओएनजीसी, देहरादून - सदस्य
22. अध्यक्ष, आईओसीएल, नई दिल्ली - सदस्य
23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीपीसीएल, मुम्बई - सदस्य
24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचपीसीएल, मुम्बई - सदस्य
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली - सदस्य
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओआईएल, नई दिल्ली - सदस्य
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईआईएल, नई दिल्ली - सदस्य

टिप्पणी:—

उपर्युक्त के अतिरिक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के प्रमुख भी समिति के सदस्य होंगे जिन्हें नियमानुसार इस सूची में शामिल नहीं किया जा सका है और उन सभी संगठनों पर भी समिति के निर्णय लागू होंगे।

(ख) कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के दायरे में आने वाले संबद्ध मुद्दों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सलाह देना होगा।

(ग) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि:

- (1) समिति में नामित संसद सदस्य जैसे ही संसद के सदस्य नहीं होंगे, इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।
- (2) समिति के सरकारी सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद को धारण किए हुए हैं जिसके कारण उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है।
- (3) अवधि के बीच रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए समिति का सदस्य रहेगा।

(घ) यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, सामान्य राजस्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रोहित माथुर
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2025

सं. 9-8/2024-यू.3(ए)—जबकि, सहज मार्ग स्परिचुअलिटी फाउंडेशन, चेन्नई द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), 13-110, कान्हा शांति वनम, चेन्नई, नंदीगामा मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 23.10.2024 के अपने पत्र संख्या 41-2/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार, अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जाँच की गई। समिति ने कुछ शर्तों के साथ प्रायोजक निकाय को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। आयोग ने दिनांक 03.10.2024 को हुई अपनी 584वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

3. और आगे, जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, सहज मार्ग स्परिचुअलिटी फाउंडेशन, चेन्नई को तीन वर्षों की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था। इसके अतिरिक्त, सहज मार्ग स्परिचुअलिटी फाउंडेशन, चेन्नई ने दिनांक 22.05.2025 के पत्र द्वारा आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया और उसे स्वीकार किया गया। आयोग ने दिनांक 23.07.2025 को हुई अपनी 592वीं बैठक (मद संख्या 2.17) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

4. अतः, अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), कान्हा शांति वनम, चेन्नई, नंदीगामा मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत एक समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।
- प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या उसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्ति या निधियां/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा या लिस नहीं होगा जो व्यावसायिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।

- vii. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- ix. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपना एमओए यूजीसी को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होगा, यह प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- x. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xi. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xii. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाना होगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 9th October 2025

RESOLUTION

No. 11011/2/2021-OL—Government of India, in supersession of their Resolution No. 11013/(1)/2013-Hindi dated 07-02-2022, has decided to constitute a Hindi advisory committee for the Ministry of Petroleum & Natural Gas. The composition of the Committee, its functions, etc., will be as under:—

(A) COMPOSITION OF THE COMMITTEE

Minister for Petroleum and Natural Gas

- Chairman

Minister of State for Petroleum and Natural Gas

- Vice Chairman

(I) NON OFFICIAL MEMBER

(a) Member of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1. Shri Pradan Barua, Lok Sabha

- Member

2. Smt. Mala Rajyalakshmi Shah, Lok Sabha

- Member

3. Shri Deepak Prakash, Rajya Sabha

- Member

4. Shri Sanjay Seth, Rajya Sabha

- Member

(b) Member of Parliament nominated by the Parliamentary Committee on Official Language

5. Shri Bhartruhari Mahtab, Lok Sabha

- Member

6. Mr. Rajesh Verma, Lok Sabha

- Member

(c) One representative of Vishwa Hindi Parishad

7. Dr. Vipin Kumar, National General Secretary

- Member

(d) One representative of Kendriya Sachivalay Hindi Parishad

8. Shri Amitabh Khare, Kendriya Sachivalay Hindi Parishad

- Member

(e) Scholar etc Nominated by the Ministry

9. Dr. Yatinder Kumar Kataria Vidyalankar
Gurudwara Marg, Mau-Mahadev, Mandi, Dhanaura-244231
District Amroha, Uttar Pradesh

- Member

10. Shri Uma Shankar Mishra
695, New Kot Village, GT Road,
Ghaziabad-201009

- Member

11. Shri Yatinder Nath Chaturvedi
3/16, Kabir Nagar,
Durgakund, Varanasi-221005

- Member

(f) Nominated by Department of Official Language

12. Shri O. Nidheesh,
Thazhathu House, Vattiyara, Payan
P.O. East Kannur-673704, Kerala

- Member

13. Dr. Pan Singh
Vill. & PO-Tulah, Tehsil-Joginder Nagar (Lad-Bhadol),
Distt. Mandi, Himachal Pradesh-176120

- Member

14. Dr. Neelam Mahendra
Jari Patka No. 2, Phalka Bazar,
Lashkar, Gwalior-474001

- Member

(II) Official members

15. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas

- Member

16. Secretary, Official Language & Hindi Advisor to Govt. of India

- Member

17. Additional Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas

- Member

18.	Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Petroleum and Natural Gas	- Member
19.	Joint Secretary, Department of Official Language	- Member
20.	Joint Secretary (OL Division), Ministry of Natural Gas	- Member Secretary
21.	Chairman, ONGC, Dehradun	- Member
22.	Chairman, IOCL, New Delhi	- Member
23.	Chairman and Managing Director, BPCL, Mumbai	- Member
24.	Chairman and Managing Director, HPCL, Mumbai	- Member
25.	Chairman and Managing Director, GAIL (India) Limited, New Delhi	- Member
26.	Chairman and Managing Director, OIL, New Delhi	- Member
27.	Chairman and Managing Director, EIL, New Delhi	- Member

Note:—

Apart from the above, all the heads of those organizations/Units under the administrative control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas will also be the members of the Committee which could not be included in the list as per rule and the decisions of the committee will be implemented by them.

(B) FUNCTIONS

The functions of the Committee will be to advise the Ministry of Petroleum and Natural Gas in matters relating to the progressive use of Hindi for Official work and allied issues falling within the frame-work of the Official Language policy laid down by the Government of India.

(C) TENURE

The term of the Committee will be 3 years from the date of its composition, provided that:

- (1) A member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament.
- (2) Official members of the Committee shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Committee.
- (3) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.

(D) TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members of the Committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in Office Memorandum Number II/20034/04/86 O.L.(A-2) dated 22 January, 1987 of Department of Official Language and at the fixed rates and as per rules amended by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administration, All Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay & Accounts Office of NITI Aayog, all attached and subordinate offices of the NITI Aayog.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ROHIT MATHUR
Joint Secretary (Admin.)

MINISTRY OF EDUCATION (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th October 2025

No. 9-8/2024-U.3(A)—Whereas, an online application was submitted by Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai for grant of Institution Deemed to be University status under distinct category to Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), 13-110, Kanha Shanti Vanam, Chegur, Nandigama Mandal, Ranga Reddy District, Telangana under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. And whereas, UGC, vide its letter no. 41-2/2024(CPP-I/DU) dated 23.10.2024, informed that the application was examined with the help of its Expert committee in accordance with UGC (institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for issuance of letter of Intent (LoI) to sponsoring body with certain conditions. The Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 584th meeting (item No.2.09) held on 03.10.2024.

3. And further whereas, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) to the Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years. Further, Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai, vide letter dated 22.05.2025, submitted compliance report of the conditions of Letter of Intent (LoI). The compliance report was verified and accepted by the UGC Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 592nd meeting (item No. 2.17) held on 23.07.2025.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Kanha Shanti Vanam, Chegur, Nandigama Mandal, Ranga Reddy District, Telangana as an Institution deemed to be University under distinct category. This approval is further subject to the following conditions:—

- i. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- v. The academic programmes to be offered at Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall align its course with National Education Policy-2020.
- vii. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana.
- ix. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- x. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xi. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xii. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary